

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16-5-18	<p> <del>वकुलाशम - कार्यवाही डा. (नि.)</del>  <del>आज कोर्ट में अर्ज फाइल</del>  <del>लोक अदालत में प्रचार हुए हैं</del>  <del>मिपल तारीख 30.5.18 को</del>  <del>पेश हो 2</del> </p>
30-5-18	<p>                     पत्रावली आज कोर्ट में अदालत                      केम जलबत्पुरा पेश हुई। <del>विषयवस्तु</del>                      प्रकरण का अबलोकन किया गया                      वाद गृह आशजी बाबत पत्रावली                      अर्थात् निषेधाज्ञा का पेश किया                      अर्थात् अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया                      कि वाद गृह आशजी बाबत (कोर्ट में)                      एक कोर्ट बनाम फुलाशम वगैरे                      का निर्णय दिनांक 31.10.1996 का                      खारिज हो चुका है। अर्थात् कोर्ट                      कोर्ट के निकट अर्थात् निषेधाज्ञा                      प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।                      प्रकरण का अबलोकन किया वाद गृह                      आशजी बाबत एक कोर्ट में एक                      कोर्ट का वाद विचारधीन है जो सश्रयदस्तावेज                      पर्याप्त ही निर्णय पारित हो सकेगा ऐसी                      स्थिति में अर्थात् निषेधाज्ञा कोर्ट                      का अधिकारी नहीं है। अतः अर्थात् का                      पत्रावली अर्थात् निषेधाज्ञा का खारिज                      किया जाता है। निर्णय आज दिनांक                      30-5-18 को कोर्ट में जलबत्पुरा                      पेश किया गया।                 </p> <p style="text-align: center;">                     30/5/18                 </p>